कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति की, दिनांक-22.07.2015 को श्री नरेन्द्र भगत, भा.प्र.से.,(से.नि.),सभापति की अध्यक्षता में संपन्न, बैठक की कार्यवाही :

1. **उपस्थिति :** संलग्न है।
2. श्री नागेन्द्र नाथ सिन्हा, प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग-सदस्य, कार्यकारिणी समिति, ने.वि.स. के उनके विभागीय कार्यवश मुख्यालय से बाहर होने की मौखिक सूचना के आधार पर उनके अनुपस्थिति अवकाश की स्वीकृति दी गई।
3. **कार्यसूची की मद सं. 1 एवं 2:**

(क) दिनांक-13.04.2015 की बैठक की कार्यवाही तथा अनुपालन/कृत कार्रवाई प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। प्रतिवेदन के क्रमांक 11(क) के प्रसंग में, बैठक में विशेष आमंत्रित भवन निर्माण प्रमण्डल के कार्यापालक अभियंता एवं सहायक अभियंता के साथ विमर्शोपरान्त यह स्पष्ट किया गया कि अंचलाधिकारी महुआडांड़ का विद्यालय प्राचार्य को प्रेषित अतिक्रमणवाद नोटिस, उनके द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराये गये भूस्वामित्व सम्बन्धी सूचना के आधार पर, सर्वथा अनाधिकृत तथा अनुचित है। प्राचार्य द्वारा प्रत्युत्तर में उक्त नोटिस वापस लेने तथा अतिक्रमणवाद कार्रवाई समाप्त किये जाने का अनुरोध फरवरी 2015 में किया गया है। अंचलाधिकारी महुआडांड़ का उत्तर अप्राप्त है।

वर्णित स्थिति में उक्त अंचल के संबन्धित राजस्व कर्मचारी द्वारा चल रहे नवनिर्माण कार्य में अनावश्यक व्यवधान आगे भी प्रस्तुत किये जाने पर संबन्धित कर्मचारी के विरूद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जाय, इस आशय का निदेश प्राचार्य को दिया गया।

(ख) आश्रमों के जीर्णोद्धार/नवनिर्माण के कार्यो की प्रगति की अद्यतन स्थिति की समीक्षा उपरान्त बैठक में उपस्थित भवन निर्माण प्रमण्डल के पदाधिकारीद्वय को सुझाव दिया गया कि तृतीय सेट के तीन आश्रमों के जीर्णोद्धार/नवनिर्माण कार्य, जो पूर्णतः पूर्णता की ओर है, प्रयास किया जाय कि वर्तमान वर्षाकालीन अवकाश उपरान्त अगस्त 15 के प्रथम सप्ताह में विधिवत हस्तांतरण कर दिया जाय। साथ ही, यह भी सुझाव दिया गया कि प्रथम सेट के तीन आश्रमों के जीर्णोद्धार/नवनिर्माण कार्य, जो उपर्युक्त उपकंडिका 'क' में

वर्णित कारण के आधार पर बाधित हुए हैं, को यथासंभव 30 सितम्बर 2015 तक पूर्ण करते हुए विधिवत हस्तान्तरण की कार्रवाई की जाय।

(ग) अनुपालनात्मक कार्रवाई की कंडिका 11(घ) में वर्णित प्रतिवेदन के संदर्भ में प्राचार्य को यह निदेश दिया गया कि विभिन्न सामग्रियों की आपूर्ति के लिए अधिकृत आपूर्तिकर्त्ताओं / सामग्री निर्माताओं की सूचीबद्धता (Empanelment) के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच कर कार्रवाई पूरी की जाय। जिन सामग्री विशेष के प्रसंग में अधिकृत आपूर्तिकर्ताओं के आवेदन अप्राप्त रहे हैं, उन्हें फिर से विज्ञापन देकर सूचीबद्ध किये जाने हेतु आवेदनों की मांग की जाय।

उपर्युक्त कंडिका 3 (क), (ख), (ग) में वर्णित अवलोकन/निदेश के साथ दिनांक–19 जून 2015 की बैठक की कार्यवाही संपुष्ट की गई। दिनांक–29 मई 2015 तथा 19 जून 2015 की बैठकों की कार्यवाही में लिये गये निर्णयों के अनुपालन/कृत कार्रवाई प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया।

4. **कार्यसूची की मद सं. 3 :**

(क) आठ परीक्ष्यमान शिक्षकों, जिनकी परीक्ष्यमान अवधि बढ़ाये जाने का निर्णय कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक–13 अप्रैल 2015 को लिया गया था, के विरूद्ध सभी संबन्धित शिक्षकों द्वारा समर्पित किये गये अलग–अलग अभ्यावेदन बैठक में प्रस्तुत किये गये। प्राचार्य द्वारा इन शिक्षकों एवं उपदेष्टा (काउंसलर) की सेवा संपुष्टि से संबन्धित अनुशंसाए प्राप्त है। सम्यक विचारोपरान्त उक्त आठ शिक्षकों, काउंसलर सहित, के अभ्यावेदनों को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया। तद्नुसार उनकी परीक्ष्यमान अवधि, एक वर्ष की सेवा समाप्ति के उपरान्त की तिथि से सेवा संपुष्ट किये जाने का निर्णय लिया गया। तद्नुसार, प्राचार्य–सह सदस्य सचिव के स्तर से अपेक्षित अनुवर्ती कार्रवाई शीघ्र किये जाने का निदेश दिया गया।

(ख) विद्यालय के कृषि शिक्षक, श्री रंजन कुमार सिंह का प्राचार्य के माध्यम से प्रेषित एवं अनुशंसित आवेदन दिनांक– 28.10.2014 (विषय : Regarding exemption from B.Ed Degree) बैठक में प्रस्तुत किया गया। आवेदन में इंगित इस आशय के तथ्य कि कम्प्युटर साइंस तथा संगीत विषयों के शिक्षकों के

लिए B.Ed Degree की अनिवार्यता वर्णित नहीं है, कृषि विषय के लिए भी तद्नुरूप प्रावधान किया जाना चाहिए, इसे विचारार्थ स्वीकार किया गया।

बैठक में, **CBSE Affiliation Bye - Laws** के **Chapter ix : नियम 53 Minimum qualification for Head and Teacher** की **कंडिका 4 : Vocational Subjects Teacher** में विहित प्रावधान पर दृष्टिपात किया गया। तद्नुसार, अन्य Vocational Courses सदृश M.Sc Agriculture Degree प्राप्त शिक्षक हेतु B.Ed Degree की अनिवार्यता नही बतायी गयी है।

विचारोपरान्त, यह निर्णय हुआ कि तत्सम्बन्धी **नियुक्ति सेवा शर्त तथा अनुशासन नियमावली (Recruitment, Service Condition and Disciplinary Rules) 2011 :** पृष्ठ सं. 26 विभिन्न विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति के प्रसंग में निर्धारित योग्यता एवं अर्हता में, B.Ed Degree की अनिवार्यता, उपर्युक्त वर्णित स्थिति में, कृषि विषय के शिक्षक के प्रसंग में अपवाद-स्वरूप इंगित किया जाय **अथवा** कृषि विषय को अन्य Vocational Courses - कम्प्युटर साइंस, Fine Art, संगीत - की कोटि में सम्मिलित किया जाय, जिन विषयों में इस नियमावली के अधीन B.Ed की अनिवार्यता नहीं बतायी गयी।

उक्त **नियमावली की प्रस्तावना** की - **द्वितीय पारा** में वर्णित स्थिति के अनुसार नियमावली के यथा उपयुक्त सुसंगत प्रावधान में संशोधन, समिति के सामान्य निकाय द्वारा किए जाने का प्रावधान है। अतएव, प्रस्ताव पर कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति दर्ज करते हुए इसे सामान्य निकाय की आगामी बैठक की कार्यसूची में प्रस्तुत किये जाने पर निर्णय लिया गया।

(ग) श्रीमती अनुराधा, शिक्षक, वनस्पति शास्त्र तथा श्री सतीश तिर्की, शिक्षक, गणित - के सेवा से त्याग पत्र सम्बन्धी आवेदन/सूचना का उल्लेख प्राचार्य द्वारा किया गया। उन्हें निदेश दिया गया कि तत्सम्बन्धी पूर्ण विवरण अभिलिखित करते हुए प्रस्ताव संचिका में शीघ्र प्रस्तुत किये जायं ताकि कार्यकारिणी समिति के स्तर पर उक्त दोनो मामलों में समुचित निर्णय शीघ्र लिए जा सकें।

श्री अभिषेक मिश्र, शिक्षक, गणित के बारे में बताया गया कि अपनी पी.एच.डी रजिस्ट्रेशन, बनारस हिन्दु वि.वि. के प्रसंग में, शोध कार्य हेतु, लम्बी अवकाश अवधि - मार्च 2015 से अबतक - विद्यालय परिसर से

अनुपस्थित हैं। उनके द्वारा समर्पित तत्सम्बन्धी आवेदन तथा उन्हें देय अवकाश - स्थिति का पूर्ण विवरण देते हुए संचिका सभापति को शीघ्र उपस्थापित किये जाने का निदेश प्राचार्य को दिया गया।

5. **कार्यसूची की मद सं. 4 :** नवनियुक्त शिक्षकों की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियां वर्ष 2014-15 तथा उसके बाद के वर्षों के लिए अभिलिखित किये जाने निमित्त गठित अलग-अलग प्रारूप - प्राचार्य, शिक्षक, उपदेष्टा, प्रशासी पदाधिकारी तथा चिकित्सा पदाधिकारी - बैठक में प्रस्तुत किये गये। विचारोपरान्त, उक्त सभी प्रारूपों के अनुमोदन किये गये। प्राचार्य को निदेश दिया गया कि संबन्धित शिक्षकों एवं अन्य पदाधिकारियों के मध्य आवश्यक कार्यार्थ यह प्रपत्र शीघ्र उपलब्ध करा दिये जायें। साथ ही पूर्व नियोजित सभी वरीय शिक्षकों के प्रसंग में अनुमान्य मा.सं.वि.वि. द्वारा विहित प्रपत्र में वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियां अभिलिखित कर प्रशासी विभाग को शीघ्र प्रेषित की जाय।

6. **कार्यसूची की मद सं. 5 :** विगत वर्ष 2014-15 में विद्यालय प्रशासन के स्तर पर संचालित विभिन्न गतिविधियाँ - शैक्षणिक, वित्तीय तथा सामान्य प्रशासन - की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत, यह अभिमत गठित हुआ कि जुलाई 2014 में कार्यकारिणी समिति के निर्णयोंपरान्त गठित स्थानीय प्रबन्धन समिति की भूमिका एवं क्रियाकलाप प्रायः सार्थक, प्रभावकारी एवं परिणामोन्मुखी नहीं प्रतीत हुए।

अस्तु, समिति के उद्देश्यों की प्राप्ति, कार्यक्रमों के कार्यान्वयन प्रभावकारी ढंग से किये जाने निमित यह निर्णय हुआ कि विभिन्न प्रशासनिक पहलुओं - यथा, वित्तीय, शैक्षणिक, सामान्य प्रशासन आदि - के लिए विषयवार शिक्षकों की **Empowered Committees (सशक्त समितियां)** गठित की जायं। इन 'समितियों' को सुपुर्द कार्य/विषय से संबन्धित निर्णय लेने हेतु पूर्णतः अधिकृत किया जाय। Empowered Committees के निर्णय प्राचार्य के स्तर पर सामान्यतः स्वीकार्य होंगे। उनके निर्णय अथवा निर्णय के किसी बिन्दु पर असहमति की स्थिति में प्राचार्य, तत्संबंधी कारण दर्शाते हुए, अपना मंतव्य अभिलिखित कर सकेंगे तथा प्रासंगिक संचिका कार्यकारिणी समिति के निर्णयार्थ प्रस्तुत कर सकेंगे।

उपर्युक्त निर्णय के क्रम में, सभापति को अधिकृत किया गया कि वे प्राचार्य से विमर्श कर निम्नलिखित विषयों/कार्यों हेतु **Empowered Committees** के गठन शीघ्र कर दें - (i) **शैक्षणिक** (ii) **वित्तीय** (iii) **अनुशासन** (iv) **परिसम्पति संरक्षण (v) शिकायत/सुझाव कोषांग** तथा (vi) **Skill Development (कौशल विकास)**।

7. **कार्यसूची की मद सं. 6 :** वर्तमान सत्र 2015-16 की प्रथम तिमाही में विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों एवं प्रगति की समीक्षा के क्रम में यह नोट किया गया कि 2015 दसवीं बोर्ड परीक्षा में छात्रों के परिणाम तथा बोर्ड में प्रथम दस में नौ स्थान विद्यालय के छात्रों का होना संतोषप्रद है। दूसरी ओर, इंटरमीडिएट की परीक्षा में असफल दो छात्र के मामले पर चिन्ता व्यक्त की गई तथा प्राचार्य को निदेश दिया गया कि आगामी वर्ष के इस कक्षा के छात्रों के पठन-पाठन की ओर विशेष ध्यान दिया जाय।

प्राचार्य को यह भी निदेश दिया गया कि इस शैक्षणिक सत्र की शेष अवधि के लिए निर्धारित कैलेन्डर, यदि कोई हो, तो उसकी समीक्षा कर उसे और प्रभावकारी बनाया जाय; यदि न हो, तो शेष अवधि के लिए नया शैक्षणिक कैलेन्डर 15 अगस्त 2015 तक तैयार कर सभापति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय ताकि यथाशीघ्र, आवश्यकतानुसार, कार्यकारिणी समिति की संस्तुति प्राप्त कर प्रस्तावित कार्यक्रमों को मूर्त्त रूप दिए जा सकें।

8. **कार्यसूची की मद सं. 7 :** नेतरहाट विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2016-17 में, तथा उसके बाद के वर्षो में संचालन, समिति द्वारा आयोजित किए जाने हेतु विचार-विमर्श किया गया। प्राचार्य को यह निदेश दिया गया कि विद्यालय स्तर पर वरीय शिक्षकों की एक समिति गठित कर इस निर्णय के भलीभांति कार्यान्वयन हेतु संबन्धित सभी पहलुओं पर विस्तृत विचार विनिमय हो। तत्सम्बन्धी प्रतिवेदन सभापति को 15 सितम्बर 2015 तक समर्पित किया जाय ताकि कार्यकारिणी समिति के स्तर पर प्रस्ताव पर अनुवर्त्ती कार्रवाई कालबद्ध ढंग से सम्पन्न की जा सके।

9. **कार्यसूची की मद सं. 8 :** शैक्षणिक सत्र 2015-16 में विद्यालय शिक्षकों के लिए उन्मुखी (Orientation) तथा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजित

किये जाने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार का पहला कार्यक्रम विद्यालय परिसर में अक्टूबर/नवम्बर 2015 में आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

10. **कार्यसूची की मद सं. 9 :** वर्तमान कार्यकारिणी समिति के क्रियाकलापों के मध्यावधि मूल्यांकन (**Mid -Term Appraisal**) से संबन्धित संकलित प्रतिवेदन बैठक में प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रतिवेदन सहित शेष मध्यावधि (जून 2015 – दिसम्बर 2016) हेतु 'समिति' के कार्यक्रमों/क्रियाकलापों की रूप रेखा एवं लक्ष्य पर सूक्षम दृष्टिपात किया गया तथा सामान्यतः संतोष व्यक्त किया गया। 'समिति' के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आगे भी कृत संकल्प बने रहने का निर्णय लिया गया।

सामान्य जानकारी हेतु, उक्त दोनों प्रतिवेदनों के सारांश निम्नवत् उद्धृत हैं :

(i) वर्तमान कार्यकारिणी समिति के क्रियाकलापों के मध्यावधि–मूल्यांकन (Mid-Term Appraisal):

- 18 दिसम्बर 2013 को पुनर्गठित कार्यकारिणी समिति की प्रथम बैठक 31 दिसम्बर 2013 नेतरहाट विद्यालय परिसर में आयोजित की गयी।
- विद्यालय की शैक्षणिक तथा अन्य गतिविधियों की स्पष्ट एवं सीधी जानकारी विद्यालय परिसर में त्रिदिवसीय प्रवास के दौरान 'समिति' द्वारा प्राप्त की गयी। तद्नुसार, दिसम्बर 2013 में विद्यालय में विद्यमान वास्तविकताओं – भौतिक संरचनाओं तथा स्थापित परिपाटी व मूल्यों से संबन्धित बिंदुओं– के प्रारंभिक आकलन के आधार पर 'समिति' के विहित तीन वर्ष के कार्यकाल हेतु कार्यक्रम व क्रियाकलाप के सूत्रण किये गये। तद्नुसार, विद्यालय हेतु वर्ष 1 : Repair, Renovation and Innovation - भौतिक संरचनाओं तथा स्थापित परम्परा व मूल्यों की पुनर्स्थापना; वर्ष 2+3; Growth and Developments, के लक्ष्य को सामने रखकर कार्यक्रम/क्रियाकलाप संचालन किया जाना तय हुआ।
- जनवरी 2014 में **NVS** वेबसाइट का विधिवत उद्घाटन मंत्री, मा.सं.वि.वि. द्वारा किया गया। समिति की बैठकों की कार्यवाही इस वेबसाइट पर अपलोड किये जाने की परम्परा का प्रारंभ किया गया। विद्यालय तथा समिति के क्रिया–कलापों की पारदर्शिता तथा **Information sharing** की पद्धति अपनायी गयी। विस्तृत नोबा परिवार से विद्यालय–हित में उनकी सहभागिता हेतु अपील किये गये।
- फरवरी 2014 में सभापति तथा प्राचार्य का पटना परिदर्शन के क्रम में – (i) पूर्ववर्त्ती छात्र श्री अभय कुमार द्वारा विद्यालय को दान स्वरूप दिये गये 25 डेस्कटॉप कम्प्युटर ग्रहण किए गए तथा (ii) नोबा पटना के सदस्यों के साथ बैठक में भाग लिया – उन्हें समिति की गतिविधियों से अवगत कराया तथा विद्यालय के हीरक जयन्ती समारोह में उनकी सहभागिता के लिए अनुरोध किया।
- मार्च 2014 में सभापति ने मुम्बई तथा दिल्ली की अपनी निजी यात्राओं के दौरान उन दोनों स्थानों के नोबा इकाईयों के कुछ सदस्यों के साथ बैठकें की, उन्हें समिति की गतिविधियों से अवगत कराते हुए विद्यालय की हीरक जयन्ती समारोह में सम्मिलित होने का आग्रह किया।
- समिति की पहल तथा प्रयास का यह प्रतिफल रहा कि नेतरहाट स्थित बंगला सं. 4 जो वर्ष 1954 में (बंगला सं. 1, 2 एवं 3 के सदृश) विद्यालय को हस्तांतरित नहीं था,

बल्कि भवन निर्माण विभाग के उपयोगार्थ आवंटित था, समिति के पक्ष में जून, 2014 में राज्य मंत्रिपरिषद के आदेश से विधिवत स्थानान्तरित किया गया।

- जुलाई 2014 में विभिन्न विषयों के शिक्षकों के कुछेक रिक्त पदों के विरूद्ध विज्ञापन आधारित अभ्यर्थियों के साक्षात्कार उपरान्त उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की गई तथा चयनित शिक्षकों ने योगदान विद्यालय में दिया।
- समिति के सतत् प्रयास के बाद जुलाई 2014 में, वर्ष 2012 में तकनीकी स्वीकृति प्राप्त आश्रमों के जीर्णोद्धार/नवनिर्माण योजनाओं की लम्बित आ रही प्रशासनिक स्वीकृति की कार्रवाई, कतिपय प्रक्रियात्मक कठिनाईवश लगभग दो वर्षों तक अवरूद्ध, अन्ततः 'समिति' को सुपुर्द तत्संबंधी शक्ति के अधीन **Clear** हुई। फलतः, प्रथम एवं तृतीय सेट के छः आश्रमों के जीर्णोद्धार/नवनिर्माण कार्य, प्रथम चरण में, प्रारंभ कराये जा सके।
- अगस्त 2014 में समिति के नेतृत्व तथा मार्गदर्शन में विद्यालय परिसर में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम, वन विभाग के साथ समन्वय कर, सफलतापूर्वक आयोजित कराया गया। साथ ही, इस कार्यक्रम को प्रतिवर्ष जारी रखे जाने का भी संकल्प लिया गया।
- सितम्बर 2014 में, रांची में, छात्रों की चित्रकला प्रदर्शनी–सह–बिक्री का दो दिवसीय कार्यक्रम समिति के नेतृत्व, मार्गदर्शन तथा देख–रेख में सफलतापूर्वक कराया गया। इससे छात्रों को बड़े मंच पर अपनी प्रतिभा साझा करने का अवसर मिला।
- नवम्बर 2014 में विद्यालय के हीरक जयन्ती समारोह के आयोजन से सम्बन्धित विभिन्न कार्यों में 'समिति' ने कुशल नेतृत्व तथा मार्गदर्शन प्रदान किया तथा तीन दिवसीय समारोह भलीभांति सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इससे विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों के मध्य नव उर्जा, नव उत्साह तथा नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली।
- समिति के मार्गदर्शन तथा नेतृत्व में विद्यालय के छात्रों तथा शिक्षकों का शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम दिसम्बर 2014 में दिल्ली तथा बिहार के विभिन्न स्थानों के आयोजन भलीभांति किये जा सके। दिल्ली में सरोजिनी नगर स्थित नवयुग विद्यालय में छात्रों के द्वारा संस्कृत नाटक का मंचन तथा दिल्ली हाट में छात्रों की चित्रकला प्रदर्शनी–सह–बिक्री के आयोजन सफलतापूर्वक किये जा सके। इससे, छात्रों को नेतरहाट पठार से दूर महानगरी की गतिविधियों को देखने–समझने का तथा महत्वपूर्ण अनुभवों को प्राप्त करने का प्रत्यक्ष अवसर मिला।
- विद्यालय को सरकार द्वारा आवंटित कुल भू–भाग 460.09 एकड़ सहित प्रतिष्ठित शैले भवन के जिला बन्दोबस्त कार्यालय पलामू द्वारा किये गये त्रुटियुक्त रेकर्ड की विस्तृत जानकारी तथा उससे जनित समस्याओं की पहचान समिति के निरन्तर पहल एवं प्रयास के बाद प्राप्त की जा सकी। तत्सम्बन्धी समस्या–समाधान एवं त्रुटिनिराकरण की कार्रवाई प्रक्रियारत है।
- भारतीय डाक एवं तार विभाग के सौजन्य से, समिति द्वारा पूर्व में समर्पित नेतरहाट विद्यालय से संबंधित डाक टिकट जारी किए जाने विषयक प्रस्ताव तथा पहल के आधार पर, विद्यालय के हीरक जयन्ती वर्ष पर आधारित अन्ततः एक 'विशेष आवरण' 26 मार्च, 2015 को रिलीज किया गया।
- विगत चार वर्षों का (2010–11 से 2013–14) विद्यालय के लेखा का अंकेक्षण कार्यकारिणी समिति की पहल पर एक मुश्त पूरा कराया गया।
- विद्यालय को सी.बी.एस.ई. से सम्बद्धता सम्बन्धी प्रस्ताव सी.बी.एस.ई. कार्यालय एवं मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार को समर्पित किया गया। तत्संबंधी कार्रवाई सम्प्रति मानव संसाधन विकास विभाग के स्तर पर प्रक्रिया में है।
- विद्यालय में छात्रों/कार्मिकों की अनुशासनहीनता के संबन्ध में शून्य सहनशीलता की नीति समिति द्वारा अपनायी गयी एंव इस पर अमल किया गया।
- समिति नियमावली में प्रत्येक तिमाही में कार्यकारिणी समिति की कम–से–कम एक बैठक आयोजित किये जाने का प्रावधान है। कार्यकाल की मध्यावधि तक 11 बैठकें आयोजित कर हमारा सदैव प्रयास यही रहा है कि कार्यकारिणी समिति के **Collective wisdom** तथा **Collective Decisions** को प्रधानता तो दी ही जाय, साथ ही, लिये गये निर्णयों

के सतत्, समयानुसार, अनुश्रवण भी किये जायं। इस प्रकार की हमारी कार्ययोजना के काफी अच्छे परिणाम हमें मिले हैं।

(ii) द्वितीय मध्यावधि (जून 2015–दिसम्बर 2016) हेतु 'समिति' के कार्यक्रमों/क्रियाकलापों की रूपरेखा एवं लक्ष्यः

शैक्षणिकः

- सत्र 2016–17 से विद्यालय प्रवेश परीक्षा के संचालन दायित्व का निर्वहन समिति द्वारा किया जाना है।
- बोर्ड की 10वीं परीक्षा उपरांत छात्रों के विद्यालय में +2 स्तर की पढ़ाई की अनिवार्यता का कार्यान्वयन हेतु पहल एवं प्रयास किए जाने हैं।
- **Skill Development** से जुड़े विद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों – धातु कार्य, काष्ठ कार्य, संगीत, चित्रकला एवं मूर्तिकला कार्यों तथा खेल–कूद आदि को और अधिक बढ़ावा दिया जाना, हमारे क्रियाकलापों की प्राथमिकता सूची में हैं।

आधारभूत संरचनाएंः

- विज्ञान विषयों की पुरानी प्रयोगशालाओं के जीर्णोद्धार तथा आधुनिकीकरण के कार्य कराये जाने हैं।
- पुस्तकालय का आधुनिकीकरण कराया जाना हैं।
- खेल–मैदानों के जीर्णोद्धार तथा आधुनिकीकरण के कार्य भी हमारी प्राथमिकता सूची में है।
- शेष पांचो सेट के 15 आश्रमों के जीर्णोद्धार सहित नवनिर्माण के कार्यों का कार्यान्वयन का हमारा लक्ष्य है।
- प्रस्तावित 8वें सेट के 3 आश्रमों के निर्माण कार्यों का कार्यान्वयन सहित नवनिर्मित ऑडोटोरियम के जीर्णोद्धार एवं विस्तारीकरण के कार्य हमारी कार्यसूची में है।
- विद्यालय परिसर में पौधा नर्सरी की स्थापना का कार्य, इस अवधि में, हमारी प्राथमिकता सूची में है।
- नये **Electronic Lab, Tissue Culture Lab** तथा **Soil Testing Lab** की स्थापना के कार्य भी इस अवधि में प्रस्तावित हैं।
- पूरे विद्यालय परिसर – शैक्षणिक व आवासीय – का कम्प्यूटरीकरण कार्य का कार्यान्वयन (राज्य सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा **JAPIT** के सौजन्य से), इस अवधि में, पूर्ण कराये जाने का हमारा लक्ष्य है।
- विद्यालय की परिसम्पति संरक्षण : विद्यालय को पूर्व आवंटित भूखंड (460.09 एकड़) सहित 'शैले' भवन की वापसी का, इस अवधि में, हमारा लक्ष्य है।

11. **कार्यसूची की मद सं. 10 :** विद्यालय के शिक्षकों तथा शिक्षकेतर कार्मिकों के रिक्त पदों पर नियुक्तियां किये जाने हेतु यह निदेश दिया गया कि वे कोटिवार रिक्त पदों के आकलन कर लें तथा तत्सम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशन की कार्रवाई, यथा संभव – 31 अगस्त 2015 तक कर लें।

12. **कार्यसूची की मद सं. 11 : अन्यान्य :**

(i) कार्यकारिणी समिति की दिनांकः 13.04.2015 की बैठक की कार्यवाही की कंडिका 3 के निर्णय के क्रम में उद्योग विभाग झारखण्ड सरकार द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन पर विचार किया गया। प्रतिवेदन में यह उल्लिखित है कि आपूर्ति

आदेश के अनुपालन में आपूर्तिकर्त्ता द्वारा आपूरित स्वेटर **"सैपल स्वेटर एवं आपूरित स्वेटर के बुनावट का डिजाईन एवं प्रयुक्त सामग्री Physical जांच में एक समान प्रतीत होता है।"**

उपर्युक्त आलोक में यह निर्णय हुआ कि आपूरित स्वेटर की कुल संख्या छात्रों के व्यावहारार्थ स्वीकार की जाय तथा तत्सम्बन्धी भुगतान की कार्रवाई की जाय। तद्नुसार प्राचार्य अपने स्तर पर कार्रवाई करेंगे।

(ii) विद्यालय परिसर–प्रशासनिक, शैक्षणिक तथा आवासीय – के कम्प्युटरीकरण कार्य हेतु JAPIT द्वारा समर्पित RFP के 15 जुलाई 2015 को सभापति तथा प्राचार्य के संयुक्त हस्ताक्षर से संसूचित अनुमोदन (Aproval) का Ratification (संपुष्टि) की गई।

(iii) विद्यालय परिसर स्थित 2 फुटबॉल मैदान को क्रिकेट मैदान में विकसित किये जाने का प्रस्ताव है। एक मैदान में राज्य सरकार द्वारा हेलीपैड निर्माण वर्षो पूर्व कराया गया है। उक्त हेलीपैड को वहां से shift कराये जाने हेतु राज्य सरकार के नगर विमानन विभाग को पत्र लिखे जाने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में, उक्त विभाग को यह भी अवगत करा दिया जाय कि निकटवर्त्ती Jungle Warfare प्रशिक्षण केन्द्र में एक हेलीपैड विधिवत निर्मित तथा नियमित उपयोग में है; अतएव खेल मैदान से हेलीपैड हटाये जाने की स्थिति में राज्य सरकार को किसी प्रकार की असुविधा संभावित नहीं है।

(iv) विद्यालय में तृतीय वर्ग के रिक्त पदों – प्रयोगशाला भंडारी 3 (तीन) पद तथा भंडारी 1 (एक) पद पर नियुक्तियों के प्रसंग में विद्यालय चयन समिति द्वारा समर्पित प्रतिवेदनों के अवलोकन किए गये। चयन समिति की अनुशंसाओं से सहमति व्यक्त करते हुए चयनित आवेदकों की नियुक्ति किये जाने का निदेश प्राचार्य को दिया गया।

सहधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह०/–
(नरेन्द्र भगत)
सभापति,
कार्यकारिणी समिति,
नेतरहाट विद्यालय समिति,
रांची।